न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2020

1. महेन्द्र कुमार पुत्र चन्दुराम, जाति जाट, निवासी चक 45 एन डी आर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, वार्ड पंच वार्ड नम्बर 32, पंचायत 45 एन डी आर, पंचायत समिति पीलीबंगा।

2. रणजीत पुत्र रामस्वरूप, जाति मेघवाल,
3. सुलतान पुत्र श्योकरण, जाति मेघवाल
4. भगवानाराम पुत्र भागीरथ, जाति कुम्हार
5. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप, जाति भाट,
6. रणजीत गर्ग पुत्र दुदगर्ग, जाति गुसांई,
7. कृष्ण लाल पुत्र मनफूल राम, जाति नायक
8. हरदयाल पुत्र केहरूराम, जाति नायक
9. कालूराम पुत्र मंगला राम, जाति मेघवाल
10. मदन लाल पुत्र बीरबल राम, जाति जाट
11. ओम प्रकाश पुत्र सहीराम, जाति नायक
12. सतपाल पुत्र ख्यालीराम, जाति जाट
13. हेतराम पुत्र उदाराम, जाति मेघवाल

} निवासीयान 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत 45 एन डी आर, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. रामप्रताप पुत्र नत्थूराम, जाति जाट, निवासी 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

4. मनीराम पुत्र ठाकर राम, जाति मेघवाल, निवासी 45 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 30.09.2020

उपस्थितिः–
श्री देवदत्त भिडासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री गुरमेल सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
श्री मदन लाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4
श्री , राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 22.03.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार पीलीबंगा ने एक पत्र उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को दिनांक 30.09.2020 को सरपंच ग्राम पंचायत 45 एन डी आर के पत्र के सन्दर्भ में लिखा कि सरपंच ग्राम पंचायत 45 एन डी आर के द्वारा नवसर्जित ग्राम पंचायत 45 एन डी आर, पंचायत भवन हेतु चक 45 एन डी आर के पत्थर नम्बर 66/342(37) के किला नम्बर 4 व 5 में स्थित खाला, शमशान भूमि के लिए रास्ता व एक कोने में बसे दो परिवारों की जगह छोड़कर शेष रकबा पंचायत भवन हेतु आरक्षित/आवंटित करने का निवेदन करने हेतु प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी पलीबंगा द्वारा पत्रावली संधारित की गई जिस पर दिनांक 30.09.2020 को ही मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 4 की 0.190 हैक्टेयर व किला नम्बर 5 की 0.059 हैक्टेयर कुल ... हैक्टेयर आराजी राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

भूमि को पंचायत घर के लिए आवंटन 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा धारित आधार पर किया जाता है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. वकील अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत 45 एन डी आर की पंचायत बैठक दिनांक 20.02.2020 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया गया कि ग्राम पंचायत के नये भवन हेतु 45 एन डी आर में स्थित मुख्य चौक 196 गुणित 195 फुट भूमि पंचायत भवन व अन्य कार्यालयों के लिए आरक्षित की गई थी। उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा हड्डा रोहड़ी व शमशान भूमि में जाने हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि को पंचायत भवन हेतु आरक्षित करवा ली, जबकि पूर्व में ही पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन हेतु भूमि आरक्षित होने के कारण पुनः भूमि आरक्षित नहीं की जा सकती। प्रस्ताव दिनांक 20.02.2020 पारित होने के पश्चात् कुछ व्यक्तियों द्वारा आपत्ति की गई जिस पर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 10.09.2020 से प्रकरण निस्तारण हेतु कमेटी गठित की गई व कमेटी के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करके कमेटी द्वारा 155 गुणित 190 फुट आकार के मुख्य चौक की भूमि को पंचायत भवन हेतु उचित मानकर रिपोर्ट जिला कलैक्टर को प्रेषित करने हेतु तहसीलदार पीलीबंगा को प्रेषित की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजर अदांज करके सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त हड्डा रोहड़ी एवं शमशान भूमि के साथ पंचायत भवन उचित नहीं है। सर्वसम्मति द्वारा जो पंचायत घर प्रस्तावित किया गया है वह गांव के बीचो बीच है एवं जिला कलैक्टर द्वारा गठित कमेटी में भी उसे ही उपयुक्त [illegible] है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश बहाल [illegible] अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत् अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश किया है, जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही मौका फर्द, मौका रिपोर्ट, उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज को बतौर साक्ष्य ग्रहण किया जावे एवं आर आर टी 2019 (1) पेज 364, आर आर डी 1991 पेज 369 की नजीरें पेश करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि चौक में बरगद आदि के पेड़ लगे हुए है जो कमेटी बनाई गई थी उसमें विकल्प दिया गया है। हड्डा रोहड़ी को हटाने के लिए राजस्व मण्डल में कार्यवाही चल रही है। सरपंच स्वयं प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के तहत जाकर ग्राम पंचायत के लिए जो भूमि आरक्षित की है उसमें कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट ने ए आई आर 1971 (राजस्थान) पेज 299, ए आई आर 1984 (गुजरात) पेज 18, ए आई आर 2003 (एससी) पेज 1989, ए आई आर 1989 (इलाहाबाद) पेज 133 की नजीरें पेश की।

5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम [illegible] सी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वह लोक [illegible]वेज होने के [illegible]–साथ लोक सेवक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रमाणित कर जारी किये गये है जिनके संदिग्ध होने का कोई अन्देशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को बतौर साक्ष्य ग्राह्य किया जाता है।

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को दिनांक 30.09.2020 को पत्र लिया एवं 30.09.2020 को ही उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा पत्रावली कायम कर उसी दिन ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्यों को बिना सुने आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी में प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 14.09.2020 में यह अंकित है कि चक 45 एन डी आर के पत्थर नम्बर 66/342 मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3 से 5 में से किला नम्बर 1, 2 में शमशान दर्ज है। किला नम्बर 3 में हड्डा रोहड़ी है व किला नम्बर 4 खाली है व किला नम्बर 5 में चेतराम व सोहन लाल का मकान है। किला नम्बर 3 के कोने में व किला नम्बर 4 व 5 के मध्य पक्का खाला सिंचाई हेतु बना है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है। हड्डा रोहड़ी 15–20 वर्ष पुरानी है। इससे स्पष्ट है कि हड्डा रोहड़ी और शमशान के साथ पंचायत भवन स्वीकृत करने का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पंचायत भवन में लोगों का आवागमन होने से हड्डा रोहड़ी एवं शमशान के साथ चिपती होने से असुविधाजनक प्रतीत होती है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिस पर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत, पटवारी हल्का, कानूनगो, तहसीलदार पीलीबंगा, विकास अधिकारी पीलीबंगा के हस्ताक्षर है। इस रिपोर्ट में चक 45 एन डी आर की आबादी भूमि के बीच में स्थित लगभग 455 [illegible] सार्वजनिक भूमि में ग्राम पंचायत भवन निर्मा[illegible] बताया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिका[illegible]
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

है। इसके अतिरिक्त इस फर्द में यह भी अंकित है कि ग्राम पंचायत में दान दाताओं द्वारा कमेटी को ऑफर की गई जगह (अशोक गुडेसर, दलीप भादू व महेन्द्र पचार) का मौका निरीक्षण किया गया। जिला कलैक्टर द्वारा की गई गठित कमेटी को ध्यान में रखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया है, जो फर्द मौका के अनुसार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

9. फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 30.09.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर एवं जिला कलैक्टर द्वारा की गई गठित कमेटी को मध्य नजर रखते हुए एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखकर विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/3/21
(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner